बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017....10692.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं० चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 02.09.2020

विषय :– जिला बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त संविदा अमीन के कार्यों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक से आप अवगत है कि वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा किया जाना है और इसके लिए सभी नवनियोजित संविदा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को शिविर आवंटित किया गया है। उपर्युक्त परिस्थिति में आवश्यक है कि पूर्व से जिलों में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं संविदा अमीन के कार्यों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए उन्हें आवश्यक निदेश दिया जाए। विदित है कि सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के द्वारा किए जाने वाले कार्य तकनीकी मार्गदर्शिका के अध्याय– 9(ग) में वर्णित है, किंतु प्रत्येक बन्दोबस्त कार्यालय में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के अतिरिक्त भी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी पदस्थापित हैं और उनके कार्यों को परिभाषित किया जाना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में आवश्यक है कि शेष सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को छोड़कर) के शिविरों का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाए तथा कार्यों में आवश्यक सहयोग के लिए नोडल पदाधिकारी के साथ संविदा अमीन (विशेष सर्वेक्षण अमीन को छोड़कर) को सम्बद्ध किया जाए। संविदा अमीन को शिविर में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं संविदा अमीन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सुलभ प्रसंग हेतु निदेशालय स्तर पर कार्यों की विवरणी तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। जिन जिलों में मुहर्रिर की पदस्थापना / प्रतिनियुक्ति है, वहां उनसे जिला बन्दोबस्त कार्यालय में लिपिकीय कार्य लिया जाय एवं विशेष तौर पर खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) के लेखन में उनका सहयोग प्राप्त किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियमित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं संविदा अमीन तथा मुहर्रिर के संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए निदेशालय को कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 2/9/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...10692.......**पटना, दिनांकः–** 02-09-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त / सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...10692.......**पटना, दिनांकः–** 02-09-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिलों के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से प्राधिकृत वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...10692.......**पटना, दिनांकः–** 02.09.2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...10692.......**पटना, दिनांकः–** 02.09.2020

प्रतिलिपि :–निदेशालय में पदस्थापित जिलों के प्रभारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...10692.......**पटना, दिनांकः–** 02-09-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 2/9/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का कार्य

1. आवंटित अंचलों/शिविरों का सतत् पर्यवेक्षण।
2. विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा क्षेत्र में किस्तवार का कार्य प्रारंभ करते समय आवश्यक सहयोग प्रदान कर दिशा–निर्देश देना।
3. किस्तवार कार्य में आने वाली कठिनाई को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर दूर करना।
4. ग्राम–सभा के आयोजन में भाग लेना एवं स्वघोषणा तथा वंशावली के संधारण में मार्गदर्शन देना तथा ग्राम–सभा की कार्रवाई संधारण में सहयोग करना।
5. प्रपत्र– 5 (खतियानी विवरणी) के लेखन के लिए जिला अभिलेखागार से समन्वय करना एवं लेखन संबंधी कठिनाईयों के संबंध में (कैथी लिपि वाले खतियान के लिए) समाधान हेतु वरीय पदाधिकारी को प्रस्ताव देना।
6. याददाश्त पंजी, खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) के संधारण का प्रशिक्षण।
7. विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को दावा/आपत्ति का निपटारा संक्षिप्त रीति से करने का तरीका बताना एवं अभिलेख लेखन के संबंध में आवश्यक सहयोग देना।
8. अंचल कार्यालय से पंजी–।। की सॉफ्ट प्रति एवं अन्य अभिलेख की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
9. जिला स्तरीय सरकारी विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी शिविरों को भू–सम्पदा की सूची उपलब्ध कराना।
10. विशेष सर्वेक्षण संबंधी अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं दिशा–निर्देश देना।

संविदा अमीन का कार्य

1. नवनियुक्त विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा किये जाने वाले ग्राम–सीमा सत्यापन एवं निर्धारण कार्य को अपनी उपस्थिति में कार्य प्रारंभ करवाना।
2. अमीन डायरी एवं याद्दाश्त पंजी के संधारण के संबंध में नवनियोजित अमीनों को प्रशिक्षित करना।
3. ग्राम सभा का आयोजन एवं कार्यवाही को संधारण करवाना एवं स्वघोषणा तथा वंशावली भरने के संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
4. आम रैयतों से संपर्क करने एवं उनसे आवश्यक कागजात प्राप्त करने (स्वघोषणा) इत्यादि के संबंध में विशेष सर्वेक्षण अमीनों व्यावहारिक प्रशिक्षण देना।
5. विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा किये जाने किस्तवार के कार्य यथा त्रि–सीमाना निर्धारण, मोन्यूमेंटेशन इत्यादि कार्यों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ अमीन की भूमिका के संबंध में नवनियोजित अमीनों को प्रशिक्षित करना।
6. प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) लेखन कार्य में सहयोग प्रदान करना।
7. याद्दाश्त पंजी, खेसरा पंजी और अन्य अभिलेख का संधारण करने में सहयोग एवं मार्गदर्शन देना एवं विभिन्न कॉलमों में भरी जानेवाली प्रविष्टियों के संबंध में नवनियोजित अमीनों को व्यावहारिक जानकारी देना।
8. सुनवाई में विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के फिल्ड बुक एवं प्रतिवेदन में विशेष सर्वेक्षण अमीन को प्रशिक्षण देना।
9. विश्रांति कार्य में सहयोग देना।
10. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में आनेवाली अन्य सभी कठिनाईयों के समाधान के संबंध में विशेष सर्वेक्षण अमीन को सहयोग करना।
11. विशेष सर्वेक्षण संबंधी अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना।